अ0शा0परिपत्र संख्या: डीजी- 30 /2014

आनन्द लाल बनर्जी,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक : मई 17, 2014

विषय : अभियुक्त की आवाज का नमूना व पूर्व अन्तरोधित आवाज से मिलान की प्रक्रिया।

प्रिय महोदय,

प्राय: देखा जा रहा है कि अत्यन्त संवेदनशील और महत्वपूर्ण अभियोगों में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तगणों के विरूद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी नहीं हो पा रही है। साक्षियों द्वारा समुचित साक्ष्य न देना, विवेचना में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुये साक्ष्यों को विवेचना में सम्मिलित न करना अथवा ऐसे सम्मिलित साक्ष्यों की फोरेन्सिक जाँच न करा पाना, इसके कुछ प्रमुख कारण है। इस परिप्रेक्ष्य में आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिन अभियोगों के अनावरण में किसी प्रकार के अन्तरोधन (Interception) की अनुमति प्राप्त की गयी है उसमें इस बात का गहन परीक्षण कर लिया जाये कि ऐसी अन्तरोधित वायस विवेचना में अवश्य सम्मिलित की जाये। उ0प्र0 पुलिस की कुछ विशेषज्ञ इकाईयों द्वारा इस प्राविधान का प्रभावी प्रयोग किया जा रहा है। इससे जहाँ एक ओर विवेचना का वैज्ञानिक पक्ष मजबूत होता है वहीं दूसरी ओर वादी, पीड़ित अथवा अन्य साक्षियों के विचारण के लिये समय दिये जाने वाले साक्ष्य पर निर्भरता भी कम हो जाती है।

किसी अभियोग में गिरफ्तार अभियुक्त की आवाज का नमूना उसकी पूर्व अन्तरोधित आवाज से मिलान हेतु नमूना लेने की विधि, तत्पश्चात् उसका मिलान कराने एवं इस कार्यवाही में संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन वांछनीय है:-

1. विधि सम्मत ढंग से अन्तरोधित आवाज की रिकार्डिंग को एक सीडी पर write कर दें।
2. अन्तरोधित वार्ता का मजमून (Content) तैयार कर प्रिन्ट ले लें।
3. अन्तरोधन सम्बन्धी आदेश की प्रमाणित प्रति संकलित करें।
4. अन्तसेधित नम्बर की CDR में चिन्हांकित वार्ता को अंकित करें।
5. अन्तरोधित वार्ता के मजमून (Content) के आधार पर एक ऐसा टेक्स्ट (text) तैयार करें जिसमें यथा सम्भव वे सभी शब्द आ जायें जो अन्तरोधित वार्ता में आये हों। ध्यान रहे कि सामान्य रफ्तार से बोलने में एक मिनट की रिकार्डिंग हो सके।
6. सम्बन्धित न्यायालय में प्रयोजन बताते हुए अभियुक्त की नैसर्गिक आवाज की रिकार्डिंग हेतु आवेदन दें।
7. नियत तिथि पर अभियुक्त को रिकार्डिंग किये जाने का कारण बताते हुए न्यायालय उसकी सहमति प्राप्त कर विवेचक को अनुमति देगा।
8. अनुमति मिलने पर पूर्व से साथ ले गये रेडियो विभाग या सर्विलान्स सेल कर्मी से डिजिटल रिकार्डर या मोबाइल फोन पर पूर्व से तैयार लगभग 1 मिनट की अवधि के

ध्यान रहे पूर्व की अन्तरोधित वायस और नैसर्गिक वायस रिकार्डिग एक ही फार्मेट में की जाये।

9. रिकार्डिग करने वाला व्यक्ति साक्षी बनाया जाये।
10. रिकार्डेड वायस की सीडी तैयार कर और उसकी फर्द बनाकर सील बन्द कर अभियुक्त का हस्ताक्षर करा लिया जाये।
11. मिलान हेतु निम्नलिखित विधि विज्ञान प्रयोगशाला को उचित माध्यम से दोनो सी0डी0 भेजी जायं :-

    1- गुजरात फोरेन्सिक साईन्सेस यूनिवर्सिटी, डी0एफ0एस0 हेडक्वाटर्स, सैक्टर-18ए,निकट पुलिस भवन, गॉधीनगर-382007 गुजरात

    079-65735504/65735512 फैक्स-91-79-23247465/23256251

    2- सेन्ट्रल फोरेन्सिक साइन्स लेवोरेटरी, सी0एफ0एल0 काम्पलेक्स प्लाट नम्बर-2 दक्षिण मार्ग सेक्टर-36ए चण्डीगढ़-160036, 0172-2615068
12. सीडी के साथ पूर्व का टाइप किया (text) भी भेजा जाये।
13. परिणाम प्राप्त होने पर न्यायालय को केस डायरी के माध्यम अवगत कराया जाये।
14. अभियुक्त की सहमति नही मिलने की दशा में न्यायालय निवेदन किया जाये कि अभियुक्त द्वारा वायस नमूना न दिया जाना इस बात को स्वत: प्रमाणित करता है कि अन्तरोधित आवाज अभियुक्त की ही है। अनुरोध किया जाये कि न्यायालय इस तथ्य को वाद-पत्रावली पर ले आये।

मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (MNP) के प्रचलन में आ जाने के बाद मोबाइल नम्बर को देखकर उसके आपरेटर के सम्बन्ध में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे प्रकरण मेरे संज्ञान में आये है जिसमें अत्यन्त महत्वपूर्ण अभियोगों की विवेचना के दौरान किसी नम्बर की सीडीआर शून्य आने पर उस नम्बर को निष्क्रिय मान लिया गया, जबकि बाद में पता चला कि वह नम्बर किसी अन्य नेटवर्क पर पोर्ट-आउट हो चुका था। अत: आपसे अपेक्षा की जाती है कि अपने अधीनस्थों को निर्देशित करें कि वे जब भी किसी संदिग्ध नम्बर की सीडीआर मंगाते है तो नम्बर पोर्ट-आउट हुआ है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर लें।

भवदीय,

17/05/14

(आनन्द लाल बनर्जी)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,

प्रभारी जनपद/रेलवे, उत्तर प्रदेश।।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन्स/रेलवे, उ0प्र0।

2- समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र/रेलवे, उ0प्र0।

3- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उ0प्र0।